न्यायालय–प्रथम अपर जिला जज, जौनपुर।
सिविल अपील संख्या– 58/ 2019 (रजि0 नं0– 58/2019)
सी.एन.आर.नं0–यूपीजेपी.010054892019
सालिकराम–––––––बनाम––––––––––मेवालाल आदि

09.02.2023

पत्रावली आज प्रार्थना पत्र 70ग पर आदेश हेतु पेश हुयी। पूर्व तिथि उभयपक्षगण के विद्वान अधिवक्तागण को सुना जा चुका है।

अपीलार्थी श्यामजी साहू द्वारा प्रार्थना पत्र 70ग इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि प्रत्यर्थी संख्या–6 छेदीलाल की मृत्यु दिनांक 23.09.2022 को हो चुकी है। मृतक उपरोक्त ने अपील में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं किया और न ही मुकदमे को कन्टेस्ट कर रहे थे और न ही उनकी तरफ से अपील में वकालतनामा दाखिल किया गया है जिससे मृतक की कार्यवाही वरासत करने की कोई आवश्यकता नहीं है और मृतक उपरोक्त के विधिक प्रतिनिधियों को मृतक छेदीलाल के विधिक प्रतिनिधि के रूप में पक्षकार बनाये जाने से बरी किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त आधारों पर अपीलार्थी को प्रत्यर्थी संख्या–6 छेदीलाल की कार्यवाही वरासत करने और उनके विधिक प्रतिनिधियो को मृतक के विधिक प्रतिनिधि बनाये जाने की कार्यवाही करने से बरी करने की अनुमति प्रदान करते हुये प्रत्यर्थी संख्या–6 छेदीलाल के नाम पता के पूर्व शब्द मृतक दर्ज किये जाने की याचना की गयी है। उक्त प्रार्थना पत्र के समर्थन शपथ पत्र 71ग प्रस्तुत किया गया है।

उक्त प्रार्थना पत्र के विरूद्ध प्रत्यर्थीगण की ओर से आपत्ति 72ग प्रस्तुत करते हुये कथन किया गया है कि प्रार्थना पत्र विधि एवं तथ्यों के प्रतिकूल है। वादीगण के अधिवक्ता अपील में उपस्थित है अलग से वकालतनामा की आवश्यकता नहीं है। मृतक के पुत्र ओम प्रकाश व धर्म प्रकाश है जो धर्मशाला की सम्पत्ति व सुरक्षा में रूचि रखते है। प्रार्थना पत्र दुर्भावनापूर्ण है। प्रार्थना पत्र प्रत्यर्थीगण को परेशान करने की नियत से दिया गया है। उपरोक्त आधारों पर प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया।

अपीलार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र 70ग सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 22 नियम 4 उप नियम (4) के तहत प्रस्तुत किया गया है। उक्त आदेश 22 नियम 4 उप नियम (4) निम्नवत् है–

आदेश 22 नियम 4 उप नियम (4)– न्यायालय, जब कभी वह ठीक समझे, वादी को किसी ऐसे प्रतिवादी के जो लिखित कथन फाइल करने में असफल रहा है या जो उसे फाइल कर देने पर, सुनवाई के समय उपसंजात होने में और प्रतिवाद करने में असफल रहा है, विविध प्रतिनिधि को प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता से छूट दे सकेगा और ऐसे मामले में निर्णय उक्त प्रतिवादी के विरूद्ध उस प्रतिवादी की मृत्यु हो जाने पर भी सुनाया जा सकेगा ओर उसका वही बल और प्रभाव होगा मानो वह मृत्यु होने के पूर्व सुनाया गया हो।

अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा यह अपील मूलवाद संख्या– 11/1987 मेवालाल बनाम रमदेई आदि में पारित निर्णय एवं आज्ञप्ति के विरूद्ध योजित की गयी है। उक्त मूलवाद की पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रत्यर्थीगण/वादीगण द्वारा मूलवाद अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण के विरूद्ध योजित किया गया था। वर्तमान अपील में वादीगण/प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आते है, यद्यपि कि आपत्ति नहीं दी गयी है किन्तु बहस हेतु उद्यत है।

ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी संख्या–6 के नाम के आगे मात्र मृतक लिखने तथा उनके वारिसान के प्रतिस्थापन से अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण को छूट प्रदान किया जाना उचित नहीं है। तद्क्रम में प्रार्थना पत्र 70ग निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थना पत्र 70ग निरस्त किया जाता है। प्रत्यर्थी संख्या–6 छेदीलाल के प्रतिस्थापन हेतु कार्यवाही अविलम्ब करे। पत्रावली वास्ते अग्रिम आदेश दिनांक 21.02.2023 को पेश हो।

(राजेश कुमार राय)
प्रथम अपर जिला जज, जौनुपर।
जे.ओ.कोड नं0–यू.पी. 6021